भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1991

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

1991. श्री एन. रेड्डप्प:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आज तक जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का और अधिक पीएसबी का निजीकरण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की सुलभता और वहनीयता बनाए रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ;

(घ) देश में पीएसबी की सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता के बावजूद इनके निजीकरण के क्या कारण है;

(ङ) क्या पीएसबी के निजीकरण के संबंध में हितधारकों से कोई परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (च): किसी भी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) या निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 51% नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद, आरबीआई ने दिनांक 14.3.2019 की अधिसूचना द्वारा आईडीबीआई बैंक को दिनांक 21.1.2019 से एक पीवीबी के रूप में वर्गीकृत किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने दो पीएसबी का निजीकरण करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी देने के अपने आशय की घोषणा की थी। नीति के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, नीति के उद्देश्यों में निजी पूंजी के निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपना विकास कर पाने में सक्षम बनाना शामिल है जिससे कि आर्थिक विकास होगा और नए रोजगार सृजित होंगे और सरकार के सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण हो पाएगा।

विनिवेश से संबंधित मुद्दों तथा कार्यनीतिक बिक्री के मामले में चयन, निबंधन एवं शर्तों इत्यादि संबंधी निर्णय पर विचार करने के कार्य को भारत सरकार (कारोबार संव्यवहार) नियम 1961 के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु नामोदिष्ट मंत्रिमंडलीय समिति को सौंपा गया है। ऐसे विचारों पर निर्णय लेने हेतु उक्त निर्णय से पहले संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों और जहां भी आवश्यक हो संबंधित विनियामकों से परामर्श किया जाता है।

******